राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक / न्याय / 2018 / 4666 दिनांक: 28.06.2018

–: आदेश :–

पुलिस अधीक्षक झालावाड ने पत्र सं0 सीबी / विविध / झाला / 18 / 17564–65 दिनांक 11.06.18 से पुलिस थाना खानपुर के अभियोग सं0 84 / 18 धारा 307, 34 भादस व 3 / 25, आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कुजबिहारी उर्फ कुंजा पुत्र मथुरालाल जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी खुन्जा थाना खानपुर जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने हेतु मूल पत्रावली भिजवाई है।

प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 3.3.18 को प्रार्थी श्री कालू लाल पुत्र देवीलाल जाति मीणा निवासी सुवालिया थाना खानपुर ने उपस्थित थाना होकर लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 2.3.18 को मै व मेरा लडका अजय मीणा व मेरी लडकिया मनीषा व लाली व मेरी पत्नी जवरी बाई सभी घर पर थे कि दिन के करीब 3 बजे कुंज बिहारी पुत्र मथुरा लाल निवासी खुन्जा व 2–3 अन्य व्यक्ति मेरे मकान पर आये। मेरा लडका अजय मीणा दरवाजे पर खडा था तो कुंजबिहारी ने जान से मारने के लिये कटटे से फायर किया तथा 2–3 अन्य के पास गंडासी थी। अजय मीणा ने मकान का दरवाजा बंद कर दिया। हम डर के मारे घर से बाहर नही निकले। इस घटना को सत्यनारायण, धनपाल ने देखी है। कुंजबिहारी से 2–3 साल जमीन संबधी रजिंश चल रही है इत्यादि पर अपराध स0 84 / 18 धारा 307, 34 भादस थाना खानपुर मे पंजीबद्व किया गया।

दौराने अनुसंधान निरीक्षण घटनास्थल किया फरियादी एंव गवाहान के कथन लेखबद्व किये । अनुसंधान से अभियुक्त 1– कुजबिहारी उर्फ कुंजा पुत्र मथुरालाल जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी खुन्जा थाना खानपुर जिला झालावाड 2– बनवारी पुत्र मथुरा लाल जाति मीणा निवासी खुन्जा उम्र 42 साल थाना खानपुर के विरूद्व 307, 34 भादस व 3 / 25 आर्म्स एक्ट प्रमाणित पाया गया। अभियुक्त कुंज बिहारी की इत्तला पर घटना मे प्रयुक्त हथियार देशी कटटा मुताबिक सूचना बरामद किया गया। जब्तशुदा अवैध देशी कटटे का आर्मोरर पुलिस लाईन झालावाड से मेकेनिकल मुआयना करवाया गया तो आर्मोरर ने अपनी रिपोर्ट मे अंकित किया कि देशी कटटा 12 बोर को फायर आर्म्स की जद मे आना बताया है। अभियुक्त के नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी होना नही पाया गया।

प्रकरण में सहायक निदेशक अभियोजन झालावाड़ की राय ली गई। सहायक निदेशक अभियोजन ने अपनी राय में व्यक्त किया है कि अभियुक्त कुजबिहारी उर्फ कुंजा पुत्र मथुरालाल जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी खुन्जा थाना खानपुर जिला झालावाड के विरूद्व धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट के अपराध के लिए धारा 39 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति जारी करने के प्रथम दृष्टया आधार पुष्ट होते है।

प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री गोरधन लाल एएसआई व आरर्मोरर पुलिस लाईन श्री यंशवत सिंह उपस्थित हुए। मेरे द्वारा सील्ड देशी कटटा को खुलवाकर भौतिक निरीक्षण किया गया एवं पुनः आर्मोरर की सील से सील्ड करवाया गया। जब्ती रिपोर्ट एवं आर्मोरर (Armourer) रिपोर्ट का गहनता से अध्ययन किया गया। केस डायरी में उपलब्ध समस्त रेकार्ड, आर्मोरर (Armourer) की स्पष्ट रिपोर्ट, तथा सहायक निदेशक अभियोजन की राय से सहमत होकर एंव अपने न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत प्रकरण आगे अभियोग चलाये जाने योग्य मानते हुए आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 39 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अभियोजन स्वीकृति के पर्याप्त आधार होने के कारण अभियुक्त कुजबिहारी उर्फ कुंजा पुत्र मथुरालाल जाति मीणा उम्र 35 साल निवासी खुन्जा थाना खानपुर जिला झालावाड के विरूद्व आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 3 / 25 के अन्तर्गत अभियोजन चलाये जाने हेतु धारा 39 के तहत अभियोजन स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट,
झालावाड